समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Monday, 28 September 2026

# संगठन मे युंवा नेतृत्व को बढ़ावा, अमर गुप्ता जिला महामंत्री

Awas Kaiwart    Published on 31 Jan 2026

**आवास कैवर्त | समाचार वाणी न्यूज़**
नगर पंचायत मरवाही के युवा पार्षद **अमर गुप्ता** को **भारतीय जनता युवा मोर्चा** में महत्वपूर्ण संगठनात्मक जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें भाजपा युवा मोर्चा, **जिला गौरेला–पेंड्रा–मरवाही का जिला महामंत्री** नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति **भाजपा छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण सिंह देव** की अनुशंसा पर की गई और इसकी आधिकारिक घोषणा भाजपा प्रदेश कार्यालय द्वारा जारी आदेश में की गई।

इस नियुक्ति को संगठन में **युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने** और जमीनी स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। अमर गुप्ता की नियुक्ति की खबर से जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं और युवाओं में उत्साह का माहौल है।

अमर गुप्ता पूरे छत्तीसगढ़ के सबसे कम उम्र के पार्षदों में शामिल हैं। पार्षद के रूप में उन्होंने नगर पंचायत मरवाही में **स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, नागरिक सुविधाओं और युवाओं की भागीदारी** जैसे मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाई है।

वे लंबे समय से **हिंदू जनजागरण अभियान, पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण** के क्षेत्र में कार्यरत हैं। विशेष रूप से आदिवासी बहुल क्षेत्र मरवाही में उन्होंने ग्रामीणों और युवाओं में जागरूकता फैलाकर **पर्यावरण संतुलन और जैव विविधता संरक्षण** में योगदान दिया है।

भाजपा संगठन के पदाधिकारी मानते हैं कि अमर गुप्ता की **संगठनात्मक सक्रियता, सामाजिक प्रतिबद्धता और युवाओं के बीच उनकी पकड़** को देखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी को उम्मीद है कि वे जिले में युवा मोर्चा को और मजबूत करेंगे और संगठन की नीतियों को जन-जन तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

नियुक्ति के बाद अमर गुप्ता ने प्रदेश अध्यक्ष **श्री किरण सिंह देव** और पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे यह जिम्मेदारी **पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण** के साथ निभाएंगे और युवाओं को राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा से जोड़ने का कार्य

जारी रखेंगे।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Awas Kaiwart, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.